राजस्थान—सरकार राजस्व(ग्रुप–1) विभाग

कमाकः प.९(७१) राजः / ग्रुप–१ / २०१२

जयपूर,दिनांक : 27-7-12_

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला नागौर की तहसील डीडवाना के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम - संख्या—6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चान राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगां एवं इनका वर्तमान क्षेंत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगाः—

	A					1		- O I	1 10010000
क्र0सं	जिला/	मूल	मूल राजस्व ग्राम की		प्रस्तावित.	ं प्रस्तावित राजस्व		्र दूरी	मूल
* 2	तहसील	राजस्व	जनसंख्या/		राजस्व ग्राम	ग्राम की जनसंख्या/		कि0मी0में	राजस्व
	ň.,	ग्रांम का	क्षेत्रफ	ल (हैक्टर में)	का नाम	- 8	नेत्रफल		ग्राम का
		नाम	म		(हैक्टर में)			शेष रहा	
			18		1975		89	. 1	क्षेत्रफल
			540		es.	1		65	(हैक्टर में)
			जन	क्षेत्रफल		जन	.क्षेत्रफल		
			संख्या			संख्या	6		
1	2	3	4	5	6	7.	8	. 9	10
1.	नागौर/ डीडवाना	डीडवान	44661	3859.11	मीर कुआं की ढाणी	669	406.15	7.00	3452.96

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपन्न क्रमांक प.9(16)राज—1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव